

राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)

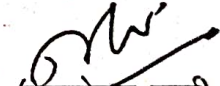
क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2025/2193 दिनांक:- 13/05/25 -

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था को अपना उपापन कार्यक्रम पूर्व में तैयार किया जाना आवश्यक है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम संख्या 7 के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था वर्ष के दौरान उपाप्त किये जाने वाले माल, संकर्मों या सेवाओं के लिए बोली प्रक्रिया की समय सीमा के अनुसार उपापन योजना तैयार करेगी।

प्रायः यह देखने में आया है कि निगम के मुख्यालय के विभिन्न विभागों/शाखाओं तथा निगम की अन्य इकाईयों/आगारों द्वारा विषय-वस्तु का उपापन करने के लिए बोली आमंत्रित करने से पूर्व उपापन योजना नहीं बनाई जा रही है। फलस्वरूप विभिन्न सामग्री/सेवाओं के उपापन में अनावश्यक देरी होती है तथा अनेक बार पूर्व में सम्पादित अनुबन्ध की अवधि को अनावश्यक रूप से विस्तारित करना पड़ता है।

अतः समस्त उपापन इकाईयों/अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक माल, सेवा या संकर्म के उपापन के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम संख्या 7 के अनुसार उपापन योजना आवश्यक रूप से तैयार की जाए तथा किसी भी प्रकार के उपापन के लिए पर्याप्त समय पूर्व बोली आमंत्रण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए ताकि उपापन में देरी के कारण कार्य प्रभावित नहीं हो और पूर्व अनुबन्धों को अकारण विस्तारित करने की स्थितियां उत्पन्न नहीं हों।


(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2025/2193 दिनांक:- 13/05/25 -

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम,।
9. रक्षित पत्रावली।


(मनीष शुक्ला)
वित्तीय सलाहकार